अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलारा डॉ. नरेश सोनी, R.A.S

वादी		प्रतिवादीगण
1.नारायणलाल पुत्र हरियाजी, जाति मीणा, निवासी नवाखेड़ा तह0 शिवगंज	बनाम	1.कुईयाराम पुत्र सोनीयाजी 2.श्रीमती गोमती पुत्री सोनीयाजी 3.श्रीमती राधाबाई पत्नी सोनीयाजी 4.श्रीमती सुटकी पुत्री सोनीयाजी 5.श्रीमती संतोष पुत्री सोनीयाजी 6.नगाराम पुत्र नवारामजी 7.जवानाराम पुत्र हरियाजी 8.देशाराम पुत्र हरियाजी 9.श्रीमती शांति पत्नी हरियाजी 10.श्रीमती सुकी पुत्री हरियाजी जातिगण मीणा, निवासीगण नवाखेड़ा, तहसील शिवगंज 11.श्रीमान् तहसीलदार साहब (भूमिधारी) शिवगंज, जिला सिरोही

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद संख्या 19/2022

–:निर्णय:–

दिनाक 12.04.2023

वादी अधिवक्ता व पैरोकार सरकार उपस्थित। दिनांक 01.09.2022 को वादी एवं प्रतिवादीगणों द्वारा संलग्न नक्शे अनुसार बंटवाड हेतु आपसी सहमति जाहिर की गई। तत्पश्चात दिनांक 31.03.2023 को तहसीलदार शिवगंज से प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति प्रदान करने पर दिनांक 11.04.2023 को उक्त प्रकरण अवलोकन कर निर्णय/डिक्री पर रखी, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगणों ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की।

पत्रावली का अवलोकन कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादग्रस्त आराजी **मौजा नवाखेड़ा** पटवार हल्का मोरली तह0 शिवगंज के खसरा नम्बर क्रमशः 394/2, 400, 402/1 एवं 403/1 रकबा क्रमशः 2.1610, 2.5981, 0.6799 तथा 1.1736 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 6.6126 हैक्टेयर भूमि का विभाजन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर वादीगण एवं प्रतिवादीगणों ने अपनी सहमति प्रदान की। अतः वादी का वाद पत्र विरुद्व प्रतिवादीगणों के कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगणों को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तहसीलदार शिवगंज द्वारा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शें के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

आज दिनाक 12.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2023.08.03 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर, शिवगंज (सिरोही)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

215
12/4/2023

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)